HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15292/2025

Mahendra S/o Shri Mahiram Bishnoi, Aged About 31 Years, Resident Of Jaisingh Deshar Magra Police Station Panchu District Bikaner Rajasthan (Presently Lodged In District Jail Rajsamand)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Thought Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Naresh Vishnoi Mr. Ashok Bishnoi through VC
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–**चारभुजा जिला राजसमन्द** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**216/2021** अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम व धारा 482 भारतीय दण्ड संहिता** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को 8/15, 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में झूठा संबद्ध किया गया है। उनका कथन है कि प्रकरण में मुख्य अभियुक्त महिराम की जमानत याचिका पूर्व में ही समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 20.08.2024 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में यह आक्षेप है कि उसने मुख्य अभियुक्त को उक्त डोडाचूरा जो कि वाणिज्यिक मात्रा में था, उपलब्ध करवाया। इस संबंध में अन्य सहअभियुक्त की सूचना व प्रार्थी/अभियुक्त की सूचना के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य इस तथ्य की नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने डोडाचूरा अन्य सहअभियुक्त महिराम को उपलब्ध करवाया

हो। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.11.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण/अनुसंधान में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांकित 26.03.2026 पेश की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त की सूचना के आधार पर संबद्ध माना गया है तथा स्वयं अभियुक्त ने भी उक्त डोडाचूरा सप्लाई करना अपने मौका तस्दीक रिपोर्ट में उल्लेख किया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगणों पर टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख इस आशय की नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त माल सहअभियुक्त अन्य सहअभियुक्त महिराम को उपलब्ध करवाया हो। सहअभियुक्त महिराम की जमानत याचिका पूर्व में ही समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 20.08.2024 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **महेन्द्र पुत्र महिराम विश्नोई** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

75-Yogeshwar Sharma/-